उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-100/2019/947/92-2-19-80जॉच/2017

लखनऊ:: दिनांक:: 16 अगस्त 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-संतकबीर नगर के कार्यकाल में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजनान्तर्गत चयनित वर्ष 2016-17 के निर्माण कार्यो की निविदाओं में बरती गयी अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-198/2017/163/92-2-17-80जांच/2017 दि0 06-11-2017 द्वारा श्री अभय शंकर सिंह, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-संतकबीर नगर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-गोरखपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-गोरखपुर के पत्र संख्या-444/ग्रा0अ0वि0/अनु0का0/अधि0अभि0/18-19 दि0 18-06-2018 द्वारा उपलबध करायी गयी जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 04 आरोपों में से आरोप सं0-2, 3 व 4 स्थापित न पाये जाने व आरोप सं0-1 में श्री अभय शंकर सिंह को अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन समुचित रूप से न किये जाने के लिये आंशिक रूप से उत्तरदायी बताया गया। श्री सिंह पर आंशिक रूप से स्थापित पाये जाने पर शासन के पत्र सं0-1577/92-2-18-80जांच/2017 दि0 11-07-2018 द्वारा जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी को प्रेषित करते हुये उनका लिखित अभ्यावेदन मांगा गया, जो कि उनके पत्र सं0-मेमो/ग्रा0अ0वि0/जांच/अभ्यावेदन /18-19 दि0 11-02-2019 द्वारा शासन को उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त निर्माण कार्यो हेतु आमंत्रित निविदा प्रक्रिया में एस0बी0डी0 में परिवर्तन किया जाना, अपने उच्चाधिकारियों के अधिकारों का अतिक्रमण किये जाने हेतु आंशिक रूप से उत्तरदायी पाये जाने के संबंध में जांच अधिकारी का निष्कर्ष उचित पाया गया, परन्तु प्रकरण में किसी प्रकार की शासकीय क्षति अंतर्निहित न होने व अपचारी अधिकारी के अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण हो जाने के कारण प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर न रह जाने के दृष्टिगत श्री अभय शंकर सिंह, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-संतकबीर नगर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06-11-2017 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-100/2019/947/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ !

2- श्री अभय शंकर सिंह, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-संतकबीरनगर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।